

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : dme12001@yahoo.com

दूरभाष क्रमांक 0755-2551719

वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

फैक्स : 0755-2578844

क्रमांक 3181/स्था/राज/2018
प्रति,

भोपाल दिनांक 07/06/2018

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
जबलपुर ।

विषय:- "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के तहत शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियों का अनुमोदन ।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4050 दिनांक 17.5.2018

.....

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में आपके द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के बिन्दु क्रमांक 03 (ग) के अनुसार अनुसूचिया तैयार कर आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी ।

उक्त के क्रम में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के अनुमोदन पश्चात् आवश्यक कार्यवाही हेतु संशोधित अनुसूची संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक
आदर्श सेवा नियम, 2018 में संशोधन

कार्यालय आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग
संतपुड़ा भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 05.01.2018

क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा "मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

अनुसूची-‘एक’ में शीर्षक सह- प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, विषय/विभाग में उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाये :-

अनु.क्र.	सेवा सम्मिलित पद का नाम/विषय	पदों की संख्या
14	सह-प्राध्यापक स्त्री रोग	06
21	सहायक प्राध्यापक स्त्री रोग	09
32	सह-प्राध्यापक जीरियाट्रिक मेडिसिन	00
35	सहायक प्राध्यापक जीरियाट्रिक मेडिसिन	00

आदर्श सेवा नियम की अनुसूची 01 के शेष पदों की संख्या/प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी।

अनुसूची 'दो' में मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" में शीर्षक सहायक प्राध्यापक के निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ निम्नानुसार संशोधित की जाती है, अर्थात् :-

स. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती
14	सह-प्राध्यापक स्त्री रोग	06	01	05
21	सहायक प्राध्यापक स्त्री रोग	09	07	02
32	सह-प्राध्यापक जीरियाट्रिक मेडिसिन	00	00	00
35	सहायक प्राध्यापक जीरियाट्रिक मेडिसिन	00	00	00

"मध्य प्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन आदर्श सेवा नियम 2018" की अनुसूची 02 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश